न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट शाहबाद, जिला बारां

पीठासीन अधिकारी :– दीनानाथ बबल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः–26/16

दायर दिनांकः–16.12.2016 **निर्णय दिनांकः–23.12.2019**

उनवान

1. कन्हैयालाल पुत्र श्रीलाल उम्र 52 वर्ष जाति किराड निवासी तेलनी तहसील शाहबाद जिला बाराँ (राजस्थान)।
2. नारायणलाल पुत्र श्रीलाल उम्र 45 वर्ष जाति किराड निवासी तेलनी तहसील शाहबाद जिला बाराँ (राजस्थान)।
3. हरिचरण पुत्र श्रीलाल उम्र 42 वर्ष जाति किराड निवासी तेलनी तहसील शाहबाद जिला बाराँ (राजस्थान)।
4. मन्नालाल पुत्र श्रीलाल उम्र 35 वर्ष जाति किराड निवासी तेलनी तहसील शाहबाद जिला बाराँ (राजस्थान)।
5. जामन्ती पुत्री श्रीलाल उम्र 48 वर्ष जाति किराड निवासी तेलनी तहसील शाहबाद जिला बाराँ (राजस्थान)।
6. कलियाबाई पत्नि श्रीलाल उम्र 72 वर्ष जाति किराड निवासी तेलनी तहसील शाहबाद जिला बाराँ (राजस्थान)।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. गज्जू पुत्र उदयचन्द जाति किराड निवासी तेलनी तहसील शाहबाद जिला बाराँ (राजस्थान)।
2. भगवानलाल पुत्र उदयचन्द जाति किराड निवासी तेलनी तहसील शाहबाद जिला बाराँ (राजस्थान)।
3. नन्दकिशोर पुत्र रामजीलाल जाति किराड निवासी तेलनी तहसील शाहबाद जिला बाराँ (राजस्थान)।
4. शान्ति उर्फ शन्ति पत्नि रामजीलाल जाति किराड निवासी तेलनी तहसील शाहबाद जिला बाराँ (राजस्थान)।
5. गीताबाई पुत्री घासीलाल पत्नि रामकिशन जाति किराड निवासी हाल नारायणखेडा तहसील शाहबाद जिला बाराँ (राजस्थान)।
6. सरवदी पुत्री प्रभू पत्नि चिरोंजीलाल जाति किराड निवासी हाल केलवाडा तहसील शाहबाद जिला बाराँ (राजस्थान)।
7. गंगाबाई पत्नि प्रभू जाति किराड निवासी तेलनी तहसील शाहबाद जिला बाराँ (राजस्थान)।

–फौत

8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहबाद जिला बारां राजस्थान।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित– 1. श्री हेमराज नामदेव अभिभाषक (प्रार्थीगण)

2. श्री अरविन्द शर्मा अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है–

03-Jan-20 10:57:06 PM

उप खण्ड अधिकारी
शाहबाद जिला बाराँ (राज०)

Scanned by CamScanner

ग्राम तेलनी पटवार हल्का बैंटा तहसील शाहाबाद में आराजी खाता संख्या 58 खसरा नम्बर 345 रकबा 21.03 बीघा स्थित है। जिसे विवादित आराजी कहा गया है। उक्त विवादित आराजी वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण के नाम हिस्सा 1/4, अप्रार्थीक्रम–1 के नाम हिस्सा 1/10, अप्रार्थीक्रम–2 के नाम हिस्सा 3/10, अप्रार्थीक्रम–3 व 4 के नाम हिस्सा 1/10, अप्रार्थीक्रम–5 के नाम हिस्सा 1/4 तथा अप्रार्थीक्रम–6 व 7 के नाम हिस्सा 1/4 से खाता दर्ज है। उक्त विवादित आराजी के मूलखातेदार उदयचन्द वल्द प्यारे (अप्रार्थीक्रम–1 व 2 के पिता 3 के पितामह व 4 के ससुर), घासी (अप्रार्थीक्रम 5 के पिता), श्रीलाल (प्रार्थीगण के पिता), प्रभू (अप्रार्थीक्रम 6 के पिता व 7 के पति) वल्द मोतीलाल किराड साकिन तेलनी हिस्सा बराबर से थे, जिन्होने मिलकर विवादित आराजी नौतोड कर काबिल काश्त बनाई और चारों खातेदार विवादित आराजी को चार समान हिस्सों में बराबर–बराबर बांटकर सम्मिलित रूप से अपने जीवनपर्यन्त हिलमिल कर प्रेमपूर्वक काश्त करते रहे और इसी आधार पर विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में चारों खातेदारान के नाम हिस्सा बराबर से दर्ज कर दी गई। जो सैटलमेन्ट जमाबन्दी व जमाबन्दी सम्वत 2026 से 2029 में दर्ज है। ततपश्चात संधारित राजस्व रिकार्ड रोटेशन जमाबन्दी सम्वत 2030 से 2033 में विवादित आराजी खाते से **"हिस्सा बराबर"** शब्द बिना किसी सक्षम आदेश के हटा दिया गया और यह स्थिति जमाबन्दी सम्वत 2051 से 2054 तक वहाल रही, इसके बाद संधारित जमाबन्दी सम्वत 2055 से 2058 में इन्तकाल नम्बर 226 का हवाला देकर विवादित आराजी राजस्व कर्मियों ने मनमाने तरीके से उदयचन्द पुत्र प्यारे के नाम हिस्सा 1/2 व घासीलाल पुत्र मोतीलाल तथा प्रभू के स्थान पर पुत्री सरवदी एवं बेवा गंगाबाई के नाम हिस्सा 1/2 से दर्ज करते हुये अप्रार्थीगण के पिता श्रीलाल का नाम फर्जी तरीके से खाते से हटा दिया, जबकि इन्तकाल नम्बर 226 खातेदार प्रभू के फौत हो जाने से विरासत बावत दर्ज किया गया था। तत्पश्चात खातेदार उदयचन्द व घासी फौत हो गये, जिनका फौती नामान्तरण नम्बर 297 सम्मिलित दर्ज किया गया और रोटेशन जमाबन्दी 2059 से 2062 में राजस्व कर्मियों ने अपनी भूल सुधारते हुये नामान्तरकरण नम्बर 297 का हवाला देकर विवादित आराजी उदयचन्द के वारिसान पुत्र गज्जू (अप्रार्थीक्रम–1) भगवानलाल (अप्रार्थीक्रम–2)दीपोबाई लाडोबाई पुत्रियां व मृतक पुत्र राजीलाल के वारिस (अप्रार्थीक्रम 3 व 4) के नाम हिस्सा 1/4, घासी के वारिसान के नाम हिस्सा 1/4, प्रभू के वारिसान के नाम हिस्सा 1/4 तथा प्रार्थीगण के पिता श्रीलाल के नाम हिस्सा 1/4 से खाता दर्ज कर दी। इस प्रकार विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज हो गई। तदुपरान्त अप्रार्थीक्रम–2 भगवानलाल ने अपनी सगी बहिन दीपोबाई व लाडोबाई की हिस्सा आराजी 1/20 – 1/20 का रजिस्टर्ड हकत्याग अपने हक में करा लिया, इस आधार पर अप्रार्थीक्रम–2 का हिस्सा 3/20 नियमानुसार सही दर्ज हो गया, जिसे अप्रार्थीक्रम–2 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 29.01.2016 को प्रार्थीक्रम 2 ता 4 के हक में विक्रय कर दिया है, इस प्रकार विवादित आराजी में अप्रार्थीक्रम–2 भगवानलाल का कोई हिस्सा व हक शेष नहीं रहा है, इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने दिनांक 02.06.2016 को न्याय आपके द्वार केम्प बमुकाम बैंटा में राजस्व कर्मियों से सांठ–गांठ कर शुद्विपत्र के जरिये बिना प्रार्थीगण को सूचना दिये बाला–बाला खाते में परिवर्तन करा अप्रार्थीक्रम–1 का हिस्सा 1/20 के स्थान पर 1/10, अप्रार्थीक्रम–2 का कोई हिस्सा शेष नहीं होते हुये भी 3/10, तथा अप्रार्थीक्रम–3 व 4 का हिस्सा 1/20 के स्थान पर 1/10 दर्ज करा लिया है, जिससे सम्पूर्ण खाता विसंगतिपूर्ण हो गया है, और दिनांक 10.08.2015 को अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को धमकी दी है, कि वे विवादित आराजी हिस्सा 1/4 व कयशुदा हिस्सा आराजी 3/20 से प्रार्थीगण को बेदखल कर कब्जा करेंगे और जबरन छीनकर अन्य को विक्रय करेंगे। अप्रार्थीगण की उक्त धमकी व कृत्य से प्रार्थीगण के हकूक मालिकाना आराजी को भारी खतरा उत्पन्न हो गया है, यदि अप्रार्थीगण अपने उक्त कृत्य व धमकी में कामयाब हो गये, तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसका मुद्रा में मूल्यांकन संभव नही हो सकेगा, इस कारण प्रार्थीगण खिलाफ अप्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

03-Jan-20 10:57:06 PM

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारॉ (राज०)

Scanned by CamScanner

करण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण की ओर से जबाव प्रार्थनापत्र स्तुत कर कथन किया गया कि प्रार्थनापत्र की मद नम्बर 1 अस्वीकार है। प्रार्थी ने अप्रार्थी हखातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है। सहखातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का र्थनापत्र चलने योग्य नहीं है। प्रार्थनापत्र की मद नम्बर–2,3,4,5,6 को अस्वीकार करते हुये कथन या है कि शुद्विपत्र से प्रार्थी व्यथित है, जो सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अपील पेश करे, नियमानुसार ाजस्व रिकार्ड की जांच कर शुद्विपत्र से रिकार्ड दुरूस्त किया है, जो सही है। शेष सभी मदों को स्वीकार कर कथन किया है कि असत्य अभिवचन पर सहखातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा का ार्थनापत्र निरस्त फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में बिन्दुवार विवेचन इस प्रकार से है :–

1.प्रथम दृष्ट्या मामला:– प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र में ग्राम तेलनी पटवार हल्का बैंटा तहसील शाहाबाद की आराजी खसरा नम्बर 345 रकबा 21.03 वीघा को वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीगण के नाम हिस्सा 1/4, अप्रार्थीकम–1 के नाम हिस्सा 1/10, अप्रार्थीकम–2 के नाम हिस्सा 3/10, अप्रार्थीकम–3 व 4 के नाम हिस्सा 1/10, अप्रार्थीकम–5 के नाम हिस्सा 1/4 तथा अप्रार्थीकम–6 व 7 के नाम हिस्सा 1/4 से खाता दर्ज होने का उल्लेख किया है, जो प्रस्तुत नकल जमाबन्दी खाता संख्या 58 से स्पष्ट है। प्रार्थीगण ने उक्त विवादित आराजी के मूलखातेदार उदयचन्द वल्द प्यारे (अप्रार्थीकम–1 व 2 के पिता 3 के पितामह व 4 के ससुर), घासी (अप्रार्थीकम 5 के पिता), श्रीलाल (प्रार्थीगण के पिता), प्रभू (अप्रार्थीकम 6 के पिता व 7 के पति) वल्द मोतीलाल किराड साकिन तेलनी का होना बतलाते हुये सभी का हिस्सा बराबर होने का कथन किया है और चारों खातेदार द्वारा विवादित आराजी को चार समान हिस्सों में बराबर–बराबर बांटकर सम्मिलित रूप से अपने जीवनपर्यन्त काश्त करते रहने का कथन किया है, इस सन्दर्भ में पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड सैटलमेन्ट जमाबन्दी व जमाबन्दी सम्वत 2026 से 2029 में हिस्सा बराबर से दर्ज है, जिससे प्रार्थीगण के कथन की पुष्टि भलिभांति होती है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2030 से 2033 में विवादित आराजी खाते से "हिस्सा बराबर" शब्द बिना किसी सक्षम आदेश के हटा दिया गया है और यह स्थिति जमाबन्दी सम्वत 2051 से 2054 तक बहाल रही, इसके बाद संधारित जमाबन्दी सम्वत 2055 से 2058 में इन्तकाल नम्बर 226 का हवाला दिया जाकर विवादित आराजी उदयचन्द पुत्र प्यारे के नाम हिस्सा 1/2 व घासीलाल पुत्र मोतीलाल तथा प्रभू के स्थान पर पुत्री सरवदी एवं बेवा गंगाबाई के नाम हिस्सा 1/2 से दर्ज की गई है, जिसमें प्रार्थीगण के पिता श्रीलाल का नाम खाते से हटा दिया गया है, जबकि इन्तकाल नम्बर 226 खातेदार प्रभू की विरासत बावत दर्ज है। ततपश्चात खातेदार उदयचन्द व घासी के फौत होने पर फौती नामान्तरण नम्बर 297 सम्मिलित दर्ज किया गया है और जमाबन्दी 2059 से 2062 में नामान्तरण नम्बर 297 का हवाला दिया जाकर विवादित आराजी उदयचन्द के वारिसान पुत्र गज्जू (अप्रार्थीकम1) भगवानलाल (अप्रार्थीकम2) दीपोबाई लाडोबाई पुत्रियां व मृतक पुत्र राजीलाल के वारिस (अप्रार्थीकम 3व4) के नाम हिस्सा 1/4, घासी के वारिसान के नाम हिस्सा 1/4, प्रभू के वारिसान के नाम हिस्सा 1/4 तथा प्रार्थीगण के पिता श्रीलाल के नाम हिस्सा 1/4 से खाता दर्ज किया जाना स्पष्ट है, जो सेटलमेन्ट तथा सम्वत 2026–29 की जमाबन्दी के अनुसरण में पृथम दृष्टया सही एवं उचित दर्ज किया जाना प्रतीत होता है। अप्रार्थीकम–2 भगवानलाल द्वारा अपनी सगी बहिन दीपोबाई व लाडोबाई की हिस्सा आराजीयात का रजिस्टर्ड हकत्याग अपने हक में कराया जाना भी प्रस्तुत नकल नामान्तरण नम्बर 558 से साबित होता है। इस आधार पर अप्रार्थीकम–2 का हिस्सा 3/20 नियमानुसार दर्ज किया जाना चाहिये था, अप्रार्थीकम–2 ने जरिये रजिस्टर्ड विकयपत्र दिनांक 29.01.2016 को अपनी सम्पूर्ण दर्ज हिस्सा

उप खण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारॉ (राज०)

Scanned by CamScanner

राजी का विक्रय प्रार्थीकम 2 ता 4 के हक में कर दिया है, इस प्रकार विवादित आराजी में प्रार्थीकम–2 भगवानलाल का कोई हिस्सा व हक शेष नहीं रहा है।

प्रस्तुत दस्तावेज शुद्धिपत्र दिनांक 02.06.2016 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी कम–8 हसीलदार शाहबाद ने वादग्रस्त भूमि संवत 2055–58 से पूर्व के रिकार्ड का अवलोकन किये बिना, मात्र जमाबन्दी सम्वत 2055–58 के आधार पर ही खाते में परिवर्तन कर अप्रार्थीकम–1 का हिस्सा 1/10, अप्रार्थीकम–2 का कोई हक शेष नहीं होते हुये भी 3/10, तथा अप्रार्थीकम–3 व 4 का हिस्सा 1/10 दर्ज कर दिया है, जिससे वास्तव में सम्पूर्ण खाता विसंगतिपूर्ण हो गया है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकार्ड नकल जमाबन्दी सैटलमेन्ट तथा जमाबन्दी सम्वत 2026–29 में वादग्रस्त आराजी खातेदारान के नाम हिस्सा बराबर से दर्ज रही है तथा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2055–58 में खातेदार प्रभू की विरासत बावत दर्ज इन्तकाल नम्बर 226 का अवलम्बन लेकर विवादित आराजी उदयचन्द पुत्र प्यारे के नाम हिस्सा 1/2 से व घासीलाल पुत्र मोतीलाल तथा प्रभू के स्थान पर पुत्री सरवदी एवं बेवा गंगाबाई के नाम हिस्सा 1/2 से दर्ज किया जाना किसी भी प्रकार से न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रस्तुत रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीगण के पिता श्रीलाल का अन्य सहखातेदारों के साथ हिस्सा बराबर दर्ज रहा है, जो 1/4 स्पष्ट है तथा अप्रार्थीकम–2 अपनी दर्ज रिकार्ड सम्पूर्ण हिस्सा आराजी का रजिस्टर्ड विक्रय प्रार्थीकम–2 लगायत 4 के हक में कर दखल व कब्जा संभला चुका है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण प्रथम दृष्टया अपना मामला साबित करने में सफल रहे हैं, इस कारण यह विन्दु प्रार्थीगण के हक में तय किया जाता है।

2.सुविधा का संतुलनः–संख्या 1 में किये गये विस्तृत विश्लेषण के निष्कर्ष स्वरूप वादग्रस्त आराजी प्रस्तुत सैटलमेन्ट तथा सम्वत 2026–29 की जमाबन्दी अनुसार खातेदारान के नाम हिस्सा बराबर से दर्ज रही है तथा जमाबन्दी सम्वत 2059–62 में विवादित आराजी उदयचन्द के वारिसान पुत्र गज्जू (अप्रार्थीकम1) भगवानलाल (अप्रार्थीकम2) दीपोबाई लाडोबाई पुत्रियां व मृतक पुत्र राजीलाल के वारिस (अप्रार्थीकम 3व4) के नाम हिस्सा 1/4, घासी के वारिसान के नाम हिस्सा 1/4, प्रभू के वारिसान के नाम हिस्सा 1/4 तथा प्रार्थीगण के पिता श्रीलाल के नाम हिस्सा 1/4 से खाता है, जो सेटलमेन्ट तथा सम्वत 2026–29 की जमाबन्दी के अनुशरण में पृथम दृष्टया सही एवं उचित दर्ज किया जाना प्रतीत होती है। स्वयं अप्रार्थीकम–2 अपनी दर्ज रिकार्ड सम्पूर्ण हिस्सा आराजी का रजिस्टर्ड विक्रय प्रार्थीकम–2 लगायत 4 के हक में कर दखल व कब्जा संभला चुका है, जिससे विवादित हिस्सा आराजी पर प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया कब्जा काश्त होना साबित है। तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के हक में होना पाया जाता है। इस प्रकार यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के हक में तय किया जाता है।

3.अपूर्णनीय क्षतिः– बिन्दु संख्या 1 व 2 में किये गये विस्तृत विश्लेषण के आधार पर वादग्रस्त भू–भाग पर पृथम दृष्टया प्रार्थीगण का स्वामित्व तथा कब्जा काश्त साबित है, शुद्धिपत्र दिनांक 02.06.2016 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि 2055–58 से पूर्व के रिकार्ड का अवलोकन किये बिना, मात्र जमाबन्दी सम्वत 2055–58 के आधार पर ही खाते में परिवर्तन कर दिया गया है, जिसके अनुसरण में किये गये हिस्सा इन्द्राज सही प्रतीत नहीं होते हैं, पक्षकारान के हकों व अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त किया जाना है, तब तक वादग्रस्त आराजीयात के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखा जाना आवश्यक है, अन्यथा पेचिदगीयां बढने की पूर्ण संभावना है। अप्रार्थीगण ने अपने जबाव में कब्जा काश्त के सम्बन्ध में कोई कथन नहीं किया है तथा यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहे हैं कि उन्हे किस प्रकार अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है। इस प्रकार यह बिन्दु भी प्रार्थीगण के हक में तय किया जाता है।

आदेश

03-Jan-20 10:57:06 PM
उप खण्ड अधिकारी
शाहबाद जिला बारॉ (राज०)

Scanned by CamScanner

अतः उपरोक्त विस्तृत विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे प्रार्थीगण को उनकी वादग्रस्त हिस्सा आराजी खसरा संख्या 345 रकबा 21.03 बीघा से बेदखल नहीं करें तथा वादग्रस्त आराजी के किसी भी भाग को अन्यथा अन्तरित नहीं करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 23.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

उप खण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारां (राज०)
शाहाबाद

Scanned by CamScanner